

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल बुरहानपुर



Tel.No.- 07325-251280, Fax- 252305

EMail- dfotbpur@mp.gov.in

क्रमांक/मा.वि./2025/ 2174

दिनांक 26 APR 2025

प्रति,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
प्लॉट नं.66-67 सिद्धि विनायक कॉलोनी,
दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड, खण्डवा।

विषय:- खण्डवा एवं बुरहानपुर जिल में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 753एल के बोरगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वनमंडल खण्डवा की 10.6681 हेक्टेयर एवं वन मण्डल बुरहानपुर की 76.9028 हेक्टेयर कुल 87.5709 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने संबंधित प्रकरण में रोड साईड वृक्षारोपण के लिये संशोधित मांग पत्र।

Online Proposal No. (FP/MP/ROAD/156438/2022)

संदर्भ:- 1.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/1351/2023/10-11/1034 दिनांक 14.02.2024 एवं 749 दिनांक 21.02.2025

2. आपका पत्र क्र.4378 दिनांक 17.04.2025 (प्राप्त दिनांक 21.04.2025)

उपरोक्त विषय एवं आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सड़क किनारे वृक्षारोपण योजना में चैनेज 162+240 से चैनेज 162+365 (125 मीटर) लंबाई में परिक्षेत्र बुरहानपुर के कक्ष क्र. 178 में 21 वृक्षों के रोपण हेतु वनपरिक्षेत्राधिकारी बुरहानपुर के पत्र क्र. 703 दिनांक 22.04.2025 एवं उपवनमंडलाधिकारी बुरहानपुर के पत्र क्र. 1777 दिनांक 24.04.2025 के द्वारा संशोधित योजना तैयार कर (राशि 1769292 रुपये, पर्यवेक्षण शुल्क 176929 रुपये) प्रस्तुत की गई है जिसकी इस कार्यालय के आदेश क्र 1229 दिनांक 26.04.2025 से जारी तकनीकी स्वीकृति सहित छायाप्रति संलग्न है।

इस कार्यालय के पत्र क्र. 1803 दिनांक 26.03.2025 से उक्त प्रकरण में सड़क किनारे वृक्षारोपण योजना संबंधित दिये गये मांग पत्र में आंशिक संशोधन करते हुये वनपरिक्षेत्र बुरहानपुर एवं नेपानगर में रोड साईड वृक्षारोपण की संशोधित राशि 6937643/- रुपये ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावें। तथा पर्यवेक्षण शुल्क की संशोधित राशि 693764/- रुपये वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मण्डल बुरहानपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट से अथवा म.प्र.कोषालय की वेबसाईड WWW.mptreasury.org के माध्यम से राजस्व मद 0406-01-800-0229 में जमा कर पालन प्रतिवेदन मय चालान इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सकें।

पृष्ठा.कं./मा.वि./2025/2175
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन तुलसीनगर भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक खंडवा वृत्त खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपवनमंडलाधिकार बुरहानपुर/नेपानगर की ओर सूचनार्थ।
5. वनपरिक्षेत्राधिकारी बुरहानपुर / नेपानगर/असीर की ओर सूचनार्थ।

वनमंडलाधिकारी
बुरहानपुर, म.प्र.

दिनांक 26 APR 2025

वनमंडलाधिकारी
बुरहानपुर, म.प्र.



मध्य प्रदेश विभाग

कार्यालय

वनमंडलाधिकारी

बुरहानपुर म.प्र.

संशोधित आदेश

आदेश क्र./व्यय/2025/1229

बुरहानपुर/दिनांक/26/04/2025

बुक ऑफ फायनेंशियल 1995 के भाग -2 में वन विभाग को प्रत्योजित वित्तीय अधिकारो एवं संशोधित आदेश क्रमांक/ एफ/1194/191/2022 /नियम/चार/ दिनांक 14-07-2022 सरल क्रमांक - 20(02) वानिकी कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वन परिक्षेत्र बुरहानपुर को वित्तीय 2025-26 में खंडवा एवं बुरहानपुर जिले में भारत माला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI753L के तहत बोरगांव से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग/चौडीकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षो के स्थान पर नवीन वृक्षारोपण (मार्ग के लेफ्ट हैण्ड साईड) योजना अन्तर्गत प्रोजेक्ट की कार्यालयीन आदेश क्रमांक/व्यय/ 2025/1087 दिनांक 24-03-2025 को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर संशोधित आदेश द्वारा निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिक्षेत्र	र.मी	1 st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	Vii year	VIII year	IX year	X year	XI year	Total
बुरहानपुर	125	87087	186379	274489	112534	118256	123978	129700	135423	141145	146867	152589	1608447
कक्ष क्रमांक 178													80422
													16084
													64338
													1769292

उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

1. मध्यप्रदेश वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-25-36/2005/10-3/2002 दिनांक 10-10-2023 से निर्देशानुसार प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति पश्चात मांग पत्र जारी करते समय वनमंडलाधिकारी पर्यवेक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि रुपये 176929/- (एक लाख छियोत्तर हजार नौ सौ उन्तीस रुपये मात्र) आवेदक संस्था से जमा करायेंगे।
2. समस्त कार्य मध्यप्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तीय नियमो के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमो एवं निर्देशो में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगी।
3. समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें।
4. कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आवंटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही करायें।
5. यदि किसी कार्य हेतु जॉबदरे स्वीकृत नहीं है तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरो की समक्ष स्वीकृति प्राप्त करे।
6. वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यो की सतप्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करे।
7. कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से उपवनमंडल अधिकारी द्वारा एवं कर्मचारियो द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावे।
8. ग्राम वन समिति/वनसुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठको के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावें।
9. योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा अपूर्ण न रहें इसका ध्यान रखा जावे।
10. सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र. भण्डार क्रय नियमो के अनुरूप किया जावे।

विद्या भूषण सिंह (भा.व.से) वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश

आदेश

क्रमांक/ व्यय/2025/1088

बुरहानपुर दिनांक 24.3.2025

ऑफ फायनियंसियल पावर्स 1995 के भाग - 2 में वन विभाग को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ/1194/191/2022/नियम/चार/ दिनांक 14.07.2022 सरल क्रमांक - 20 (2) वानिकी कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये वन परिक्षेत्र अधिकारी नेपानगर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारत माला-परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NHA1753L के तहत बोरगांव से मुक्ताई नगर फोरलेन मार्ग/चौडीकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के स्थान पर नवीन वृक्षारोपण (मार्ग के साईट हैण्ड साईड) योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

कक्ष क्रमांक	रकबा मी.	प्रोजेक्ट राशि											कुल योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम	नवम	दशम	ग्यारह	
185, 177 पी 175	1445	904628	123720	52495	55644	58984	62521	66272	70267	74472	78957	83629	1631589
आस्था मूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत													81579
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत													16316
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत													65264
महायोग :-													1794748

- उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।
- 1) मध्यप्रदेश वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-25-36/2005/10-3/2002 दिनांक 10.10.2023 से निर्देशानुसार प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति पश्चात् मांग पत्र जारी करते समय वनमंडलाधिकारी पर्यवेक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि रुपये 179475/- (एक लाख उनअस्सी हजार चार सौ पिच्चतर रुपये मात्र) आवेदक संस्था से जमा करायेंगे ।
 - 2) समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तीय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें । नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होगी ।
 - 3) समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें ।
 - 4) कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आवंटन (भौतिक/आर्थिक) के अंतर्गत ही करायें ।
 - 5) यदि किसी कार्य हेतु जॉब दरें स्वीकृत नहीं हैं तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की समक्ष स्वीकृति प्राप्त करें ।
 - 6) वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें ।
 - 7) कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें ।
 - 8) ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जाये ।

विद्या भूषण सिंह (भा.व.से) वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश

आदेश

क्रमांक/ व्यय/2025/1086

बुरहानपुर दिनांक 24.03-2025

ऑफ फायनियंसियल पावर्स 1995 के भाग - 2 में वन विभाग को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ/1194/191/2022/नियम/चार/ दिनांक 14.07.2022 सरल क्रमांक - 20 (2) वानिकी कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये वन परिक्षेत्र अधिकारी बुरहानपुर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारत माला-परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI753L के तहत बोरगांव से मुक्ताई नगर फोरलेन मार्ग/चौडीकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के स्थान पर नवीन वृक्षारोपण (मार्ग के राईट हैण्ड साईड) योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

कक्ष क्रमांक	रकबा मी.	प्रोजेक्ट राशि											कुल योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम	नवम	दशम	ग्यारह	
184, 178	1.36	902200	218146	256246	102093	108222	106681	11166	116891	123886	131347	44242	2221618
आस्था मूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत													111081
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत													22216
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत													88865
महायोग :-													2443780

उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

- 1) मध्यप्रदेश वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-25-36/2005/10-3/2002 दिनांक 10.10.2023 से निर्देशानुसार प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति पश्चात् मांग पत्र जारी करते समय वनमण्डलाधिकारी पर्यवेक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि रुपये 244378/- (दो लाख चौवालीस हजार तीन सौ अठोत्तर रुपये मात्र) आवेदक संस्था से जमा करायेंगे ।
- 2) समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तीय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें । नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होगी ।
- 3) समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें ।
- 4) कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक) के अंतर्गत ही करायें ।
- 5) यदि किसी कार्य हेतु जॉब दरें स्वीकृत नहीं हैं तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की समक्ष स्वीकृति प्राप्त करें ।
- 6) वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें ।
- 7) कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें ।
- 8) ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जाये ।
- 9) योजना के अंतर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें ।
- 10) सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप किया जावें ।

विद्या भूषण सिंह (भा.व.से) वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश

आदेश

क्रमांक/ व्यय/2025/ 1085

बुरहानपुर दिनांक 24.03.2021

ऑफ फायनियंसियल पावर्स 1995 के भाग - 2 में वन विभाग को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ/1194/191/2022/नियम/चार/ दिनांक 14.07.2022 सरल क्रमांक - 20 (2) वानिकी कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये वन परिक्षेत्र अधिकारी नेपानगर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारत माला-परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI753L के तहत बोरगांव से मुक्ताई नगर फोरलेन मार्ग/चौडीकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के स्थान पर नवीन वृक्षारोपण (मार्ग के राईट हैण्ड साईड) योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

कक्ष क्रमांक	रकबा मी.	प्रोजेक्ट राशि											कुल योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम	नवम	दशम	ग्यारह	
पी 175	180	125211	116841	52495	55644	58984	62521	66272	70267	74472	78957	83629	845293
आस्था मूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत													42265
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत													8453
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत													33812
महायोग :-													929823

उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

- 1) मध्यप्रदेश वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-25-36/2005/10-3/2002 दिनांक 10.10.2023 से निर्देशानुसार प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति पश्चात् मांग पत्र जारी करते समय वनमंडलाधिकारी पर्यवेक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि रुपये 92982/- (ब्यानवे हजार नौ सौ ब्यासी रुपये मात्र) आवेदक संस्था से जमा करायेंगे ।
- 2) समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तीय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें । नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होगी ।
- 3) समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें ।
- 4) कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक) के अंतर्गत ही करावें ।
- 5) यदि किसी कार्य हेतु जॉब दरें स्वीकृत नहीं हैं तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की समक्ष स्वीकृति प्राप्त करें ।
- 6) वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें ।
- 7) कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें ।
- 8) ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जाये ।
- 9) योजना के अंतर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें ।
- 10) सामग्री कय व उपयोग म.प्र. भण्डार कय नियमों के अनुरूप किया जावें ।